

मुकदमा नम्बर 127/2022

जीसीएमएस नम्बर 2022/278

लालूराम पुत्र जीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी सुरजनरार तहरील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 27.08.2025

राजस्थान सरकार जरिये तहरीलदार भू-राजस्व श्रीडूंगरगढ

बनाग

-वादी-

उपस्थिति:-

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

-प्रतिवादी-

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 949 तादादी 9.6500 हैक्टियर रोही उदरासर में स्थित है। वादी के पिता जीयाराम के फौत होने के बाद जब राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम लालचन्द की जगह श्यामलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम लालचन्द था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम श्यामलाल लिख दिया जबकि वादी का नाम लालचन्द दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा-काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नहीं होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज लालचन्द नाम से बने हुए हैं जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालचन्द की जगह श्यामलाल दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती हैं एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वंचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में लालचन्द होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम लालचन्द दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम श्यामलाल दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टेट के विरुद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टेट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं मागा गया है स्टेट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टेट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही उदरासर के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानों का निवेदन किया गया:-

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



- (क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 949 तादादी 9.6500 हैक्टेयर रोही उदरासर में श्यामलाल की जगह लालचन्द घोषित किया जावे
- (ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 949 तादादी 9.6500 हैक्टेयर रोही उदरासर में श्यामलाल की जगह लालचन्द दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें।
- (ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में वादी का शपथपत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

#### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 949 तादादी 9.6500 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम श्यामलाल के स्थान पर लालचन्द घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(शुभम शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (न्यायालय)

## अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

लालूराम पुत्र जीयाराम जाति ब्राह्मण निवासी सुरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू-राजस्व श्रीडूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 127/2022

दावा बाबत: घोषणात्क, रिकार्ड दुरुस्ती

निर्णय दिनांक: 27.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 949 तादादी 9.6500 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम श्यामलाल के स्थान पर लालचन्द घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज...0.....मुबलिंग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया।

(शुभम शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0



उपखण्ड अधिकारी  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)